शिक्षा का अधिकार

समग्र शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल–462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र./रा.शि.के./मूल्यांकन/अर्द्धवार्षिक मूल्यां./2024–25/5004 भोपाल, दिनांक : 29.10.2024

प्रति,

कलेक्टर,
समस्त जिले (म.प्र.)

विषयः– **शासकीय एवं अशासकीय शालाओं हेतु अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2024–25 संबंधी दिशा–निर्देश।**

संदर्भः– रा.शि.के. का पत्र क्र./रा.शि.के./मूल्यांकन/सी.सी.ई./2024–25/2609, भोपाल, दिनांक 14.06.2024 (सी.सी.ई.निर्देश सत्र 2024–25)

अकादमिक सत्र 2024–25 में कक्षा – 3 से 8 हेतु प्रदेश की समस्त शासकीय शालाओं, मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं (अनुदान प्राप्त व गैर अनुदान प्राप्त) एवं डाईस कोड प्राप्त मदरसों हेतु अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन संबंधी दिशा निर्देश निम्नानुसार रहेंगे –

1. अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन आयोजन की तिथि, अवधि एवं पाठ्यक्रम सीमा

1.1 शासकीय शालाओं हेतु–

- समस्त शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत कक्षा 3 से 8 के छात्रों हेतु अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन दिनांक 16 दिसंबर से 21 दिसंबर 2024 की अवधि में किया जाएगा। कक्षावार एवं विषयवार समय–सारणी परिशिष्ट–1 एवं 2 पर संलग्न है।
- अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन दिनांक 30 नवंबर 2024 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा निर्मित कराए गए प्रश्न पत्रों के द्वारा किया जाएगा।

1.2. अशासकीय शालाओं हेतु –

- प्रशासकीय अनुमोदन के उपरांत अकादमिक सत्र 2022–23 से कक्षा 5वीं एवं 8वीं की वार्षिक परीक्षा में शासकीय शालाओं के साथ–साथ समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय (अनुदान प्राप्त व गैर अनुदान प्राप्त) शालाओं एवं डाईस कोड प्राप्त मदरसों को भी सम्मिलित किया गया है।
- वार्षिक परीक्षा परिणाम में अर्द्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का 20 अंक अधिभार लिया जायेगा। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि शाला द्वारा विद्यार्थियों के कक्षा 5 व 8 के विषयवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर की जाना है। अधिभार की गणना शाला द्वारा नहीं की जाएगी। यह गणना सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः ही हो जाएगी।

- एकरूपता की दृष्टि से शासकीय शालाओं के समान ही मान्यता प्राप्त अशासकीय (अनुदान प्राप्त व गैर अनुदान प्राप्त) शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों में भी कक्षा 5 एवं 8 के छात्रों हेतु अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन दिनांक 16 दिसंबर से 21 दिसंबर 2024 की अवधि में संलग्न समय–सारणी (परिशिष्ट–1 एवं 2) अनुसार किया जाएगा। कक्षा 5 एवं 8 के अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्नपत्रों का निर्माण 30 नवंबर 2024 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर किया जाएगा। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि इन शालाओं में अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र शाला स्तर पर ही निर्मित किए जाएंगे। कक्षा 5 व 8 के प्रश्नपत्र निर्माण हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा निर्धारित ब्लू प्रिंट (परिशिष्ट–3) संलग्न है।
- शेष कक्षाओं (कक्षा 1 से 4, 6 व 7) में अर्द्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन शालाओं द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार कराया जा सकता है।
- कक्षा 5 व 8 के विषयवार प्रश्न पत्रों की 1–1 प्रति बी.आर.सी.सी. कार्यालय में जमा करना – मान्यता प्राप्त अशासकीय (अनुदान प्राप्त व गैर अनुदान प्राप्त) शालाओं एवं डाईस कोड प्राप्त मदरसे निर्धारित समय–सारणी अनुसार अर्द्धवार्षिक परीक्षा आयोजित करने के उपरांत 24 दिसंबर 2024 तक कक्षा 5 व 8 के विषयवार प्रश्नपत्रों की 1–1 प्रति बी.आर.सी.सी. कार्यालय में जमा कर पावती प्राप्त करेंगे।
- बी.आर.सी.सी. यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्रांतर्गत आने वाली समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय (अनुदान प्राप्त व गैर अनुदान प्राप्त) शालाओं एवं डाईस कोड प्राप्त मदरसे की प्रत्येक शाला के कक्षा– 5 व 8 के विषयवार प्रश्नपत्र उनके कार्यालय में जमा हो जाएं एवं उक्त सभी शालाओं के प्रमुख द्वारा निम्न प्रारूप में प्रमाणीकरण भी बी.आर.सी.सी. कार्यालय में जमा कराया जाए –

प्रश्नपत्र प्रमाणीकरण प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि ....
(शाला का नाम व डाईस कोड) में दिनांक 16 दिसंबर से 21 दिसंबर 2024 की अवधि में कक्षा 5 एवं 8 में आयोजित अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन में इन प्रश्नपत्रों का उपयोग किया गया है।

हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

- समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय (अनुदान प्राप्त व गैर अनुदान प्राप्त) शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों से प्राप्त प्रश्नपत्रों को बी.आर.सी.सी द्वारा संबंधित जिले की डाईट में जमा किया जाए एवं पावती प्राप्त की जाए।

  उक्त प्रश्नपत्रों को ब्लूप्रिंट में निर्धारित संरचना/कौशल व कठिनाई स्तर हेतु निर्धारित अधिभार इत्यादि मापदण्डों पर विश्लेषण प्रत्येक जिले की डाईट द्वारा किए जाने हेतु निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे।

2. **परीक्षा संचालन हेतु पोर्टल की व्यवस्था –**

2.1 **परीक्षा पोर्टल पर कक्षा 5 व 8 के बच्चों का पंजीकरण** – गतवर्षानुसार ही वर्तमान सत्र 2024–25 में कक्षा 5 एवं 8 की परीक्षा हेतु ऑनलाईन पोर्टल (rskmp.in) की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से समस्त शासकीय शालाओं, मान्यता प्राप्त अशासकीय (अनुदान प्राप्त व गैर अनुदान प्राप्त) शालाओं तथा डाईस कोड प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 5 व 8 के छात्रों हेतु वार्षिक परीक्षा का संचालन किया जाएगा। गतवर्षानुसार ही वर्तमान सत्र 2024–25 में शासकीय शालाओं के साथ–साथ समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय (अनुदान प्राप्त व गैर अनुदान प्राप्त) शालाओं तथा डाईस कोड प्राप्त मदरसों के कक्षा – 5 व 8 के छात्रों का पंजीयन परीक्षा पोर्टल पर किया जाना है। बच्चों के पंजीकरण हेतु पोर्टल शीघ्र ही खोला जाएगा।

2.2 **परीक्षा पोर्टल पर अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों की प्रविष्टि** – कक्षा 5 व 8 के अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन उपरांत समस्त शालाओं द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं की जांच 26 दिसंबर .2024 तक पूर्ण कर ली जाए। तत्पश्चात् परीक्षा पोर्टल **rskmp.in** पर छात्रवार–विषयवार अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों की प्रविष्टि पूर्ण की जाएगी।

3. **प्रश्नपत्र का स्वरूप**

3.1 **कक्षा 1, 2 हेतु –**

- समस्त शासकीय शालाओं में कक्षा 1 व 2 में विभिन्न विषयों– हिन्दी, गणित व अंग्रेजी में FLN आधारित आवधिक आकलन, अभ्यास पुस्तिका व शिक्षक संदर्शिका अनुसार विषयवार किया जाए। इन कक्षाओं में पृथक से अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाए।
- शासकीय शालाओं में कक्षा 1 व 2 में विद्यार्थियों के आकलन के लिए (हिन्दी, गणित व अंग्रेजी विषयों हेतु) राज्य द्वारा पृथक से कोई प्रश्नपत्र प्रदाय नहीं किये जाएंगे। शिक्षकों हेतु कक्षा 1 व 2 में शिक्षक मार्गदर्शिका' में मूल्यांकन टूल (उपकरण) एवं निर्देश (प्रक्रिया) दिए गए हैं, जिसके आधार पर विषयवार आवधिक मूल्यांकन की प्रक्रिया की जाए।

3.2 **कक्षा – 3 से 8 हेतु –**

गतवर्षानुसार ही शासकीय शालाओं, शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं (अनुदान प्राप्त व गैर अनुदान प्राप्त) एवं डाईस कोड प्राप्त मदरसों हेतु कक्षा 3 से 8 के लिए सभी विषयों हेतु प्रश्नों का विवरण एवं अंक विभाजन की योजना समान है।

अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्नपत्र प्रारूप का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है –

प्रश्नों का विवरण व अंक विभाजन	कुल प्रश्न संख्या	पूर्णांक
विषय के कौशल / लर्निंग आउटकम्स आधारित प्रश्न • बहुविकल्पीय–(5 प्रश्न × 1 अंक = 5 अंक) • रिक्त स्थान की पूर्ति–(5 प्रश्न × 1 अंक = 5 अंक) • अतिलघुत्तरीय–(6 प्रश्न × 2 अंक = 12 अंक) • लघुत्तरीय–(6 प्रश्न × 3 अंक = 18 अंक) • दीर्घउत्तरीय–(4 प्रश्न × 5 अंक = 20 अंक)	26	60

3.3 **प्रश्नपत्र का कठिनाई स्तर व कौशल –**

कौशल	**Knowledge/ Remembering 20%**	**Understanding 50%**	**Applying 20%**	**High Order Thinking Questions 10%**
कठिनाई स्तर	Easy-20%	Average-50%	Difficult-30%	

टीप– *समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय (अनुदान प्राप्त व गैर अनुदान प्राप्त) शालाओं एवं डाईस कोड प्राप्त मदरसों में कक्षा 5 एवं 8 हेतु प्रश्नों का विवरण, अंक विभाजन एवं कठिनाई स्तर उपरोक्त सारणी के अनुसार ही रहेगा।*

4. **शासकीय शालाओं हेतु प्रश्नपत्र व अन्य मूल्यांकन सामग्री का मुद्रण –**

शासकीय शालाओं हेतु प्रश्नपत्रों का मुद्रण–वितरण शालावार–विषयवार वास्तविक दर्ज संख्या के मान से जिला परियोजना समन्वयक द्वारा भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए समय–सीमा में कराया जाए। मूल्यांकन संबंधी सामग्री के मुद्रण, वितरण व गणना का आधार निम्नानुसार रहेगा –

क्र.	सामग्री का विवरण	गणना का आधार
1.	कक्षावार–विषयवार प्रश्नपत्र मुख्यविषय हिन्दी माध्यम (कक्षा– 3 से 8)	कक्षावार वास्तविक दर्ज संख्या के मान से (प्रति विद्यार्थी एक–एक प्रति)
2.	*अल्पभाषा / अल्पविषय प्रश्नपत्र (मराठी, उर्दू, अंग्रेजी माध्यम) कक्षा–3 से 8	कक्षावार *अल्पभाषा / अल्पविषय के अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या के मान से आवश्यकतानुसार मुद्रित किए जाएं।
3.	शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र–1	प्रति कक्षा एक प्रति (कक्षा – 3 से 8)

नोट – *जिनकी सॉफ्टकापी राज्य स्तर से प्रदाय की गई है, उनका मुद्रण कराया जाए। सॉफ्ट कॉपी में प्रदाय विषयों के अलावा यदि किसी अन्य विषय का अध्यापन किसी संस्था में कराया जाता है तो उसके प्रश्नपत्र शाला स्तर से निर्मित कर मूल्यांकन कराया जाए।

5. **शासकीय शालाओं हेतु अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन के प्रश्नपत्र की विभिन्न स्तर पर उपलब्धता –**

- **राज्य स्तर से जिले को मुद्रण हेतु प्रश्नपत्र की सॉफ्टकापी की उपलब्धता–** समस्त शासकीय शालाओं में अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2024 हेतु समस्त विषयों के कक्षावार प्रश्नपत्र व प्रपत्रों की

साफ्टकॉपी (पीडीएफ फाइल में) दिनांक 20 नवंबर 2024 तक उपलब्ध कराई जाएगी। सभी जिला परियोजना समन्वयक जिले की समस्त शासकीय शालाओं हेतु समय–सीमा में प्रश्नपत्र मुद्रण की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

- **जिले स्तर से मुद्रित प्रश्नपत्र व अन्य मूल्यांकन सामग्री का शालाओं को वितरण**– जिले स्तर से शासकीय शालाओं में विद्यार्थियों की वास्तविक दर्ज संख्या के मान से मुद्रित प्रश्नपत्र के कक्षावार–विषयवार पैकेट व अन्य मूल्यांकन सामग्री बीआरसीसी एवं जनशिक्षक के माध्यम से शालाओं को 14 दिसंबर 2024 से पूर्व अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जाए। शालाओं तक समस्त सामग्री सुरक्षित रूप से गोपनीयता के साथ समय–सीमा में पहुंचाने का दायित्व जिला परियोजना समन्वयक एवं संबंधित बी.आर.सी.सी. का रहेगा।

6. **उत्तरपुस्तिकाओं की जांच व शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र भरना–** अर्द्धवार्षिक परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन गतवर्ष की भांति शाला स्तर पर किया जाए एवं शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र–1 में जानकारी भरकर शाला स्तर पर संधारित की जाए।
7. अर्द्धवार्षिक परीक्षा परिणाम में 'E' ग्रेड प्राप्त करने वाले विषयों में विद्यार्थियों को शाला स्तर पर उपचारात्मक शिक्षण प्रदान कराया जाए तथा अपेक्षित दक्षता प्राप्त कराना सुनिश्चित किया जाए। अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन में बच्चों की शत–प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
8. **शासकीय शालाओं हेतु बजट प्रावधान–** अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन संबंधी गतिविधियों में होने वाला समस्त व्यय समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2024–25 के 'प्रतिभा पर्व' मद से किया जाये।
9. जिला परियोजना समन्वयक उक्तानुसार अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन के संबंध में प्रेस रिलीज जारी कराएं। समस्त शासकीय प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शालाओं तक निर्देश उपलब्ध कराएं ताकि बच्चों की पूर्व तैयारी सुनिश्चित हो सके।
10. अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन के बारे में मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं (अनुदान प्राप्त व गैर अनुदान प्राप्त) तथा डाईस कोड प्राप्त मदरसों को निर्देश उपलब्ध कराकर अनुपालन कराने का उत्तरदायित्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी का होगा।

संलग्न– समय–सारणी (परिशिष्ट –1 व 2) एवं ब्लूप्रिंट परिशिष्ट–3

28/10/24

(हरजिंदर सिंह)
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

पृ.क्र. / रा.शि.के. / मूल्यांकन / अर्द्धवार्षिक मूल्यां. / 2024–25 / 5005 भोपाल, दिनांक : 29.10.2024

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।

3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण, भोपाल म.प्र.।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल म.प्र.।
5. आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
6. आयुक्त, जनसंपर्क,म.प्र. भोपाल।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.।
8. सचिव, मदरसा बोर्ड, म.प्र.।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले म.प्र.।
10. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग, म.प्र.।
11. प्राचार्य आई.ए.एस.ई. व सी.टी.ई. समस्त म.प्र.।
12. प्राचार्य, डाइट, समस्त म.प्र.।
13. जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, समस्त जिले म.प्र. सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. प्राचार्य, हायर सेकेन्डरी/हाई स्कूल, समस्त जिले म.प्र. सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
15. जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले म.प्र. सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
16. बी.आर.सी.सी. समस्त विकासखण्ड म.प्र सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
17. एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

28/10/24

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

कार्यालय मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड

"तालीम घर" इस्लामी गेट, शाहजहांनाबाद, भोपाल - 462001
(म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का मण्डल)

पृष्ठांकन क्र./म.प्र.म.बो./मूलयां./अर्द्धवार्षिक/परीक्षा/2024-25/ 937 भोपाल, दिनांक 7/11/24
प्रतिलिपिः

1. समस्त जिला मदरसा प्रभारियों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसे (जिनको डाइस कोड आवंटित है) की ओर भेजकर लेख है कि राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक/रा.शि.के./मूल्यांकन/अर्द्धवार्षिक मूल्यां./2024-25/5004 भोपाल, दिनांक 29.10.2024 के अनुसार पूर्व वर्ष की भांति मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त डाइस कोड आवंटित मदरसों की वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देश अनुसार आयोजित होंगी। अर्द्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों का निर्माण राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्लूप्रिंट अनुसार मदरसा स्तर पर किया जाकर अर्द्धवार्षिक परीक्षा के आयोजन उपरांत प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्रों की एक-एक प्रति बी.आर.सी. कार्यालय में अनिवार्यताः जमा कराई जाए। अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मदरसा प्रभारी एवं बी.आर.सी. कार्यालय के सतत् संपर्क में रहकर अर्द्धवार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन कार्य को राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देश अनुसार निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करें।

सचिव
म.प्र.मदरसा बोर्ड भोपाल

सचिव
म.प्र. मदरसा बोर्ड
भोपाल

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

परिशिष्ट —1

कक्षा—3 से 5 अर्द्धवार्षिक परीक्षा समय—सारिणी (Time Table) वर्ष 2024—25

समय : 11.00 से 1.30 तक (कुल 2.30 घण्टे)

क्र.	दिनांक	दिन	विषय
1.	16.12.2024	सोमवार	प्रथम भाषा : हिन्दी अंग्रेजी उर्दू मराठी
2.	17.12.2024	मंगलवार	गणित *अथवा* संगीत (दृष्टिबाधितों हेतु)
3.	18.12.2024	बुधवार	द्वितीय भाषा : अंग्रेजी (हिन्दी, उर्दू तथा मराठी माध्यम हेतु) *अथवा* हिन्दी (जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी है)
4.	19.12.2024	गुरूवार	पर्यावरण अध्ययन
5.	20.12.2024	शुक्रवार	अतिरिक्त भाषा : हिन्दी उर्दू (उर्दू एवं मराठी माध्यम हेतु हिन्दी अनिवार्य)

नोट —

1. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधान अनुसार निःशक्त विद्यार्थियों को निर्देशानुसार अतिरिक्त समय/लेखक की सुविधा प्रदान की जाये।
2. प्रथम भाषा के रूप में उर्दू/मराठी का चयन करने पर द्वितीय भाषा अंग्रेजी तथा अतिरिक्त भाषा के रूप में हिन्दी का चयन करना अनिवार्य होगा।
3. प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी का चयन करने पर द्वितीय भाषा हिन्दी का चयन करना अनिवार्य होगा।
4. परीक्षा अवधि में स्थानीय/अन्य अवकाश घोषित होने पर भी परीक्षा, निर्धारित समय—सारणी अनुसार संपन्न होगी।

28/10/24

संचालक,
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

शिक्षा का अधिकार

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

नियमित

परिशिष्ट—2

कक्षा—6 से 8 वार्षिक परीक्षा समय—सारिणी (Time Table) वर्ष 2024—25

समय : 11.00 से 1.30 तक (कुल 2.30 घण्टे)

क्र.	दिनांक	दिन	विषय
1.	16.12.2024	सोमवार	प्रथम भाषा : हिन्दी अंग्रेजी उर्दू मराठी (सहायक वाचन सहित)
2.	17.12.2024	मंगलवार	गणित *अथवा* संगीत (दृष्टिबाधितों हेतु)
3.	18.12.2024	बुधवार	द्वितीय भाषा : अंग्रेजी (जिनकी प्रथम भाषा हिन्दी/उर्दू/मराठी है) *अथवा* हिन्दी (जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी है)
4.	19.12.2024	गुरूवार	विज्ञान
5.	20.12.2024	शुक्रवार	तृतीय भाषा : संस्कृत हिन्दी उर्दू मराठी
6.	21.12.2024	शनिवार	सामाजिक विज्ञान

नोट—

1. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधान अनुसार निःशक्त विद्यार्थियों को निर्देशानुसार अतिरिक्त समय/लेखक की सुविधा प्रदान की जाये।
2. प्रथम भाषा के रूप में उर्दू/मराठी का चयन करने पर द्वितीय भाषा अंग्रेजी तथा तृतीय भाषा के रूप में हिन्दी का चयन करना अनिवार्य होगा।
3. प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी का चयन करने पर द्वितीय भाषा हिन्दी तथा तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत/उर्दू/मराठी भाषा का चयन करना अनिवार्य होगा।
4. परीक्षा अवधि में स्थानीय/अन्य अवकाश घोषित होने पर भी परीक्षा, निर्धारित समय—सारणी अनुसार संपन्न होगी।

28/10/24

संचालक,
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

अर्द्धवार्षिक प्रश्नपत्र हेतु ब्लूप्रिंट 2024–25

(समस्त शासकीय, मान्यता प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाईस कोड प्राप्त मदरसों के लिए)

कक्षा– .... विषय– .... पूर्णांक–60

प्रश्न क्र.	प्रश्न का प्रकार Multiple Choice Questions - MCQ Fill In The Blanks - FIB Very Short Answer - VSA Short Answer - SA Long Answer - LA	कौशल Knowledge/ Remembering-K/R Understanding - U Applying - A High Order Thinking - HOTS	कठिनाई स्तर Easy - E Average - A Difficult - D	LO Code	अंक अधिभार
1.	MCQ				1 अंक
2.	MCQ				1 अंक
3.	MCQ				1 अंक
4.	MCQ				1 अंक
5.	MCQ				1 अंक
6.	Fill in the blank				1 अंक
7.	Fill in the blank				1 अंक
8.	Fill in the blank				1 अंक
9.	Fill in the blank				1 अंक
10.	Fill in the blank				1 अंक
11.	VSA				2 अंक
12.	VSA				2 अंक
13.	VSA				2 अंक
14.	VSA				2 अंक
15.	VSA				2 अंक
16.	VSA				2 अंक
17.	SA				3 अंक
18.	SA				3 अंक
19.	SA				3 अंक
20.	SA				3 अंक
21.	SA				3 अंक
22.	SA				3 अंक
23.	LA				5 अंक
24.	LA				5 अंक
25.	LA				5 अंक
26.	LA				5 अंक

प्रश्न पत्र की संरचना/स्वरूप– अकादमिक सत्र 2024–25 हेतु अर्द्धवार्षिक प्रश्नपत्र का प्रारूप निम्नानुसार रहेगा–

प्रश्नों का विवरण व अंक विभाजन	कुल प्रश्न संख्या	पूर्णांक
• **विषय के कौशल/लर्निंग आउटकम्स आधारित प्रश्न** • बहुविकल्पीय–(5 प्रश्न × 1 अंक = 5 अंक) • रिक्त स्थान की पूर्ति–(5 प्रश्न × 1 अंक = 5 अंक) • अतिलघुत्तरीय–(6 प्रश्न × 2 अंक = 12 अंक) • लघुत्तरीय–(6 प्रश्न × 3 अंक = 18 अंक) • दीर्घउत्तरीय–(4 प्रश्न × 5 अंक = 20 अंक)	26	60

कौशल व कठिनाई स्तर हेतु अधिभार–

Knowledge/ Remembering 20%	Understanding 50%	Applying 20%	High Order Thinking Questions 10%
Easy-20%	Average-50%	Difficult-30%	

नियंत्रक मूल्यांकन
राज्य शिक्षा केन्द्र